[2019] 15 एस. सी. आर. 37

ए.

निंगप्पा थोताप्पा अंगाडी (मृत) थ्रू एल. आर. एस. बनाम.

विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी और एक अन्य

(2019 की सिविल अपील संख्या 9415) 13 दिसंबर, 2019

बी.

[एस**.** ए**.** बोबडे**,** मुख्य न्यायाधीश **,** बी**.** आर**.** गवई और सूर्या कान्ट**,** जे**.** जे**.]**

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894।4(1), 6(1), 17(1), (4) & 18 – एस. एल. पी. दाखिल करने में लंबा विलंब-उसी अधिग्रहण के तहत अन्य भूमि मालिकों के मामले में दिए गए बढ़े हुए मुआवजे का अनुदान, जिन्होंने विवादित फैसले के खिलाफ तेजी से अपील की-यदि अनुमति हो तो-हुबली अंकोला ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के निर्माण के लिए अधिग्रहित हुबली तालुका के येल्लापुर गांव में स्थित भूमि-भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने बाजार मूल्य 7,500/- रुपये प्रति गुंटा की दर से निर्धारित किया-पीड़ित, अपीलार्थी (गण) और इसी तरह के अन्य व्यक्तियों ने संदर्भ मांगा-संदर्भ न्यायालय ने सामान्य आदेश द्वारा मुआवजे को बढ़ाकर 25,000/- रुपये प्रति गुंटा (Rs.10,00,000/- प्रति एकड़) कर दिया-उच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा अपील में पारित पुरस्कार को संशोधित किया।11.11.16 सिविल अपील No.2927 2010 में पारित उनकी अपीलों को उनके मामले में Rs.10,00,000/- प्रति एकड़ के मुआवजे को बहाल करने की अनुमति दी, जैसा कि संदर्भ न्यायालय द्वारा दिया गया था-वर्तमान अपीलार्थी (गण) जो उच्च न्यायालय के विवादित फैसले से भी व्यथित थे/व्यथित थे, उन्होंने अन्य समान रूप से स्थित भूमि मालिकों के साथ अपील दायर नहीं की-2928 दिनों की देरी से दायर की गई वर्तमान अपील-आयोजितःदेरी को माफ कर दिया गया-इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सुप्रीम न्यायालय ने अपने फैसले में देरी की है। 11.11.16 सी. ए. में उत्तीर्ण।

सी.

डी.

ई.

एफ.

No.2927/2010 (निंगप्पा थोटप्पा अंगाडी बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण)

अधिकारी और अन्य) ने उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त करना दिया और संदर्भ न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे को बहाल कर दिया-अपीलकर्ताओं को भी इसी तरह दावेदारों के रूप में रखा गया है और इस प्रकार, वे समानता की मांग करने और अन्य भूमि मालिकों को दिए गए उचित और न्यायसंगत मुआवजे की समान राशि का दावा करने के हकदार हैं-हालांकि, अपीलार्थी (गण) बढ़े हुए मुआवजे और वैधानिक राशि पर किसी भी ब्याज के हकदार नहीं हैं।

जी.

एच.

37 ए.

38 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 15 एस. सी. आर.

अपील दायर करने में 2928 दिनों की देरी की अवधि के लिए-उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश, अपास्त करना दिया गया-संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित पुरस्कार, पुनर्स्थापित-समानता।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए**,** न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-**इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में यह कहा है।**11.11.16** सी**.** ए**. No.2927/2010 (**निंगप्पा थोटप्पा अंगाडी बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी और अन्य**)** में पारित आदेश ने उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त करना दिया है और संदर्भ न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे को बहाल कर दिया है।अपीलार्थी **(**गण**)** भी इसी तरह के दावेदार हैं।इस प्रकार**,** वे समानता की मांग करने और उचित और न्यायसंगत मुआवजे की उतनी ही राशि का दावा करने के हकदार हैं जितनी अन्य भूमि मालिकों को दी गई है।हालाँकि**,** अपीलार्थी **(**गण**)** उस अवधि के लिए ब्याज मांगने के हकदार नहीं हैं जिसके लिए उन्होंने इस न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया था। एम**.** एफ**.** ए**.** सं**. 3274/2007** में उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित **24.11.2008** द्वारा पारित विवादित आदेश को अपास्त करना दिया गया है और संदर्भ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी**-**दावेदार **(**ओं**)** के पक्ष में पारित पुरस्कार को बहाल कर दिया गया है।हालाँकि**,** अपीलकर्ता**-**दावेदार अपील दायर करने में **2928** दिनों की देरी की अवधि के लिए बढ़े हुए मुआवजे और वैधानिक राशि पर किसी भी ब्याज का हकदार नहीं होगा।**[**पारस **10-12] [41-F; 42-B-D]**

बी.

सी.

डी.

धीरज सिंह **(**मृत**)** के माध्यम से एल**.** आर**.** और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य **(2014) 14** एस**.** सी**.** सी**. 127;** इमरात लाल और ओआरएस**.** वी**.**भूमि अधिग्रहण कलेक्टर और अन्य। **(2014) 14** एस**.** सी**.** सी**. 133;** हुचनगौड़ा बनाम सहायक आयुक्त और भूमि अधिग्रहण अधिकारी **2019** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 990**

ई.

– पर भरोसा किया।

एफ.

संदर्भित निर्णय

(2014) 14 एससीसी **127**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **8**

(2014) 14 एससीसी **133**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **9**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2019 की सिविल अपील संख्या 9415।

जी.

कर्नाटक उच्च न्यायालय के 2007 के एम. एफ. ए. सं. 3274 में धारवाड़ में सर्किट बेंच के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।एस. एन. भट, वी. एन. रघुपति, महिंदरपाल गुप्ता, प्रकाश जाधव, अधिवक्तागण उपस्थित दलों के लिए।

एच.

39

निंगप्पा थोताप्पा अंगाडी (मृत) टीएचआर। एलआरएस. वी.विशेष भूमि अधिग्रहण कार्यालय और और।

ए.

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय दिया गयाः

न्याय

1. देरी को माफ कर दिया गया।छुट्टी दे दी गई।

2. तत्काल अपील कर्नाटक उच्च न्यायालय, धारवाड़ में सर्किट बेंच द्वारा 2007 के एम. एफ. ए. संख्या 3274 में पारित दिनांक 24.11.2008 के आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसमें विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, हुबली-अंकोला द्वारा संदर्भ न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपील को अनुमति दी गई थी और अपीलार्थी की भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे को Rs.10,00,000 प्रति एकड़ से घटाकर 5,10,000 प्रति एकड़ कर दिया गया था।

बी.

3. वर्तमान विवाद को जन्म देने वाले तथ्यों पर संक्षिप्त रूप से ध्यान दिया जा सकता है।विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, हुबली, अंकोला ने अधिसूचना सं. एच. बी.-लॉ. सी. आर.:1/2002-2003 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 17 (4) और 4 (1) के तहत हुबली अंकोला ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के निर्माण के उद्देश्य से येल्लापुर गांव, हुबली तालुका में स्थित भूमि अधिग्रहण के लिए प्रभावित भूमि मालिकों को उक्त भूमि पर अलग करने या शुल्क बनाने से रोकने के लिए एक और निर्देश दिया गया है।उक्त भूमि के अधिग्रहण के लिए अधिनियम की धारा 17 (1) और 6 (1) के तहत एक अंतिम अधिसूचना 19.10.2002 पर जारी की गई थी।इसके बाद, भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने अधिग्रहित भूमि के संबंध में आईडी1 पर एक पुरस्कार पारित किया और बाजार मूल्य 7,500/- रुपये प्रति गुंटा निर्धारित किया।भूमि अधिग्रहण अधिकारी के फैसले से व्यथित, अपीलार्थी (गण) और इसी तरह के अन्य व्यक्तियों ने मुआवजे में वृद्धि की मांग करते हुए 1894 के अधिनियम की धारा 18 के तहत बचाव की मांग की।संदर्भ न्यायालय-सह-प्रधान सिविल न्यायाधीश, हुबली ने 12.10.2006 पर एक सामान्य आदेश पारित किया और वास्तविक नियंत्रण रेखा No.44/2004 में अपने स्वयं के एक पूर्व निर्णय पर भरोसा करते हुए जिसमें 25,000/- रुपये प्रति गुंटा का मुआवजा दिया गया था, इस तथ्य के साथ कि वर्तमान मामले में अधिग्रहित भूमि और वास्तविक नियंत्रण रेखा संख्या 44/2004 में भूमि आस-पास के गांवों में स्थित है और हुबली शहर के निकट है, संदर्भ न्यायालय ने मुआवजे को बढ़ाकर 25,000/- रुपये प्रति गुंटा (10,00,000-रुपये प्रति एकड़) कर दिया।4. पूर्व-वर्णित वृद्धि से व्यथित, भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलों को प्राथमिकता देते हुए तर्क दिया कि अधिग्रहित भूमि वास्तव में 'सूखी भूमि' थी और इसके वर्तमान बाजार मूल्य को निर्धारित करने के लिए कुछ अन्य तरीकों को भी लागू किया जाना चाहिए था।दूसरी ओर, दावेदार-प्रभावित भूमि मालिकों ने मुआवजे को बढ़ाकर 26,000/- रुपये प्रति गुंटा करने की मांग करते हुए प्रति-आपत्ति दायर की।कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने दिनांक 24.11.2008 के विवादित फैसले के माध्यम से भूमि अधिग्रहण द्वारा दायर अपीलों की अनुमति दी

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

ए.

अधिकारी।उच्च न्यायालय ने कहा कि उसी भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने उसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए 13.05.2005 की प्रारंभिक अधिसूचना के माध्यम से कुछ अन्य भूमि का अधिग्रहण किया था और उन कार्यवाही में दावेदारों/भूमि मालिकों ने एक समझौता किया और प्रति एकड़ 6,00,000 देने के लिए एक सहमति पुरस्कार पारित किया गया।परीक्षक को नोट करने के बाद, उच्च न्यायालय ने कहा कि वर्तमान दावेदारों की भूमि जो 13.05.2005 से 3 साल पहले अधिग्रहित की गई थी, उन्हें प्रति गुंटा 26,000 रुपये का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। नतीजतन, उच्च न्यायालय ने 15 प्रतिशत की दर से वार्षिक मूल्यह्रास के सिद्धांत को लागू किया और संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को संशोधित किया और मुआवजे को घटाकर 5 लाख रुपये कर दिया। 5,10,000-प्रति एकड़।5. कुछ प्रभावित भूमि मालिकों ने विशेष अनुमति याचिका दायर की और इस न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 2927/2010 में पारित दिनांक 11.11.2016 के फैसले के माध्यम से उनकी अपील को स्वीकार कर लिया और उच्च न्यायालय के फैसले को अपास्त करना दिया, जहां तक उक्त मामले में अपीलार्थी (गण) का संबंध था और संदर्भ न्यायालय द्वारा दिए गए प्रति एकड़ रुपये 10,00,000 के मुआवजे को बहाल कर दिया।

बी.

सी.

डी.

6. वर्तमान अपीलार्थी (गण) जो कर्नाटक उच्च न्यायालय के विवादित फैसले से व्यथित थे/थे, उन्होंने अन्य समान रूप से स्थित भूमि मालिकों के साथ अपील दायर नहीं की।वह काफी लंबे समय के बाद इस न्यायालय में अन्य बेदखल भूमि मालिकों के साथ समानता की मांग करने के लिए आया है और मुआवजे की बहाली के लिए लालायित है जैसा कि संदर्भ न्यायालय द्वारा दिया गया था।इस प्रकार, जो संक्षिप्त प्रश्न विचार के लिए आता है, वह यह है कि क्या अपीलार्थी (गण) जिनके पूर्ववर्ती ने भूमि के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश पर हमला नहीं किया, जो इस अपील का विषय है, उसी अधिग्रहण के तहत अन्य भूमि मालिकों की तरह तेजी से, 2928

दिनों की देरी के बावजूद वही मुआवजा प्राप्त करने की अनुमति दी जाए और यदि ऐसा है, तो क्या वे भी ब्याज लेने के हकदार हैं?

ई.

एफ.

7. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

8. हम पाते हैं कि इस अपील में उठाया गया मुद्दा अब नहीं है -

समाकलन।एल. आर. और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 1 के माध्यम से धीरज सिंह (मृत) मामले में इस न्यायालय ने कहा किः

जी.

"14. अपीलार्थियों समान रूप से स्थित हैं और उनके साथ अलग व्यवहार करने का कोई कारण नहीं है।हम यह भी ध्यान देते हैं कि इन मामलों में उच्च न्यायालय ने देरी को माफ करने से इनकार कर दिया था

1 (2014) 14 एससीसी 127 ए

एच.

41

निंगप्पा थोताप्पा अंगाडी (मृत) टीएचआर। एलआरएस. वी.विशेष भूमि अधिग्रहण कार्यालय और और।

और अपीलार्थियों के एल. पी. ए. को खारिज कर दिया, अन्य एल. पी. ए. को स्वयं उच्च न्यायालय द्वारा समान परिस्थितियों में समान परिमाण की देरी को माफ करके अनुमति दी गई थी।

15. समानताओं को उस अवधि के लिए अपीलार्थियों के हित को अस्वीकार करके संतुलित किया जा सकता है जिसके लिए उन्होंने न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया था। अपीलार्थियों के मूल अधिकारों को स्व-अधिरोपित सीमाओं के बारे में अति-तकनीकी दृष्टिकोण अपनाकर तकनीकी आधार पर पराजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे के मामले में, हमारा विचार है कि न्यायालय का दृष्टिकोण व्यावहारिक होना चाहिए न कि पांडित्यपूर्ण।

बी.

[जोर दिया गया]9. धीरज सिंह के मामले में फैसले से पहले और बाद के मामलों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा पूर्व-उद्धृत दृष्टिकोण का लगातार पालन किया गया है।

सी.

(मृत**)** मामला **(**ऊपर**)**।इमरात लाल और ओआरएस**.** वी**.**भूमि अधिग्रहण कलेक्टर

& ओआरएस। 2, यह देखा गया कि विशेष अनुमति याचिका दायर करने में देरी दावेदारों को न्यायसंगत और उचित मुआवजे से इनकार करने का कारण नहीं हो सकती है।इस न्यायालय ने कहा कि इस मामले में एक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

डी.

चीजों की तरह।हुचनागौड़ा बनाम सहायक आयुक्त और भूमि

अधिग्रहण अधिकारी 3 ने यह भी कहा कि इस न्यायालय ने मुआवजे के अनुदान के मामले में देरी को माफ कर दिया और समानता को बहाल कर दिया, हालांकि इस शर्त के साथ कि "विशेष अनुमति याचिकाओं को दाखिल करने और फिर से दायर करने में देरी की अवधि के लिए, अपीलकर्ता-दावेदार (ओं) संवर्धित क्षतिपूर्ति और वैधानिक राशि पर किसी भी ब्याज का हकदार नहीं होगा।”

ई.

10. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह न्यायालय 11 नवंबर, 2016 के फैसले के माध्यम से सी. ए. सं. 2927/2010 (निंगप्पा थोटप्पा अंगाडी) में पारित हुआ।

v. विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी और ए. एन. आर.) ने आदेश अपास्त करना कर दिया है

एफ.

उच्च न्यायालय और मुआवजे को बहाल किया जैसा कि संदर्भ न्यायालय द्वारा दिया गया था। उद्धृत मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

“हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को कुछ समय तक सुना है और अभिलेख पर सामग्री का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है।हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश को अपास्त करना दिया जाना चाहिए और संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को बहाल किया जाना चाहिए।हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस न्यायालय ने इसी आदेश के खिलाफ इसी तरह की अपील में विवादित फैसले को अपास्त करना दिया है और वृद्धि को बहाल किया है।

जी.

2 (2014) 14 एससीसी 133

3 (2019) एससीसी ऑनलाइन एससी 990

एच.

ए.

संदर्भ न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया।हम वर्तमान मामले में अलग दृष्टिकोण रखने का कोई कारण नहीं देखते हैं।हम, तदनुसार, इस अपील को स्वीकार करते हैं और जहां तक यह अपीलार्थी से संबंधित है, विवादित निर्णय को दरकिनार करते हुए, संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को बहाल करते हैं।हालाँकि, पक्षकार अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।"

बी.

11. अपीलार्थी (गण) भी इसी तरह के दावेदार हैं।इस प्रकार, वे समानता की मांग करने और उचित और न्यायसंगत मुआवजे की उतनी ही राशि का दावा करने के हकदार हैं जितनी अन्य भूमि मालिकों को दी गई है।हालाँकि, अपीलार्थी (गण) उस अवधि के लिए ब्याज मांगने के हकदार नहीं हैं जिसके लिए उन्होंने इस न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया था।

सी.

12. वनहीन कारणों से, अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है, एम. एफ. ए. संख्या में उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश को अपास्त करना दिया जाता है और संदर्भ न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता-दावेदार (ओं) के पक्ष में पारित पुरस्कार को बहाल कर दिया जाता है।हालाँकि, अपीलकर्ता-दावेदार अपील दायर करने में 2928 दिनों की देरी की अवधि के लिए बढ़े हुए मुआवजे और वैधानिक राशि पर किसी भी ब्याज का हकदार नहीं होगा।तदनुसार आदेश दिया।

डी.

दिव्या पांडे

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

ई.

एफ.

जी.

एच.